

कार्यालय— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शिप्र/4467/ऑल डाइट/2023

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

:: विज्ञप्ति ::

शासकीय पत्रांक : प.7(12)प्राशि/आयो/2024-05926 जयपुर, दिनांक : 08.01.2025 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 (समय – समय पर यथा संशोधित) के तहत प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट्स) में अकादमिक पदों के रिक्त पदों पर पदस्थापन के लिए प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग में समकक्ष पदों पर कार्यरत पात्र कार्मिकों का पैनल तैयार किए जाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन शासन के अनुमोदन पत्रांक : पत्रांक : प.7(12)प्राशि/आयो/2024-05926 जयपुर, दिनांक : 12.04.2025 के क्रम में निम्नानुसार आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र. सं.	डाइट में स्वीकृत पद का नाम	आवेदन हेतु पात्र अभ्यर्थी का मूल पद	एनसीटीई के मानदण्डानुसार संकाय का विषय-क्षेत्र	न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव
1	2	3	4	5
1	उप प्रधानाचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता	प्राचार्य-उमावि	विभागाध्यक्ष	1. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान/समाज विज्ञानों/ कलाओं/ मानविकी विषयों में स्नातकोत्तर और न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा)/एम.एल.एड. 2. किसी शिक्षक शिक्षा संस्थान में अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय – शैक्षिक प्रशासन/नेतृत्व में डिग्री/डिप्लोमा।
2	वरिष्ठ व्याख्याता एवं व्याख्याता	प्राचार्य-उमावि एवं प्राध्यापक	शिक्षा में परिप्रेक्ष्य/शिक्षा के आधार और पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्र ● शिक्षा में परिप्रेक्ष्य/ शिक्षा के आधार ● विज्ञान ● मानविकी एवं समाज विज्ञान ● गणित ● भाषाएं	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ समाज विज्ञान/विज्ञानेतर विषयों/विज्ञान/भाषा में स्नातकोत्तर और न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एड./एम.ए.(शिक्षा) विशेष -50 सीट की एक इकाई वाले प्रत्येक संस्थान में अधिकतम एक संकाय सदस्य निम्नांकित योग्यता के साथ स्वीकार्य है :- न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ दर्शन शास्त्र/समाज विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर और न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ डी.एल.एड./बी.एल.एड./बी.एड अथवा शिक्षा में एम.फिल./पीएच.डी.)
3	व्याख्याता	प्राध्यापक-शारीरिक शिक्षा	शारीरिक शिक्षा	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.पी.एड.
4	व्याख्याता	प्राध्यापक-संगीत एवं	दृश्य और अभिनय निष्पादन कलाएं	ललित कलाओं/संगीत/नृत्य/थिएटर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर



आवेदन प्रक्रिया :-शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक पदों हेतु निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस हेतु मैनुअल पृथक से विभागीय वेबसाइट/पोर्टल पर जारी किया जाएगा।

आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक:- 30.04.2025 रात्रि 11.59 बजे तक।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
8. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक)
9. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक स्कूल शिक्षा।
10. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/शहरी संकुल प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
11. समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट्स)।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के साथ ही उक्तानुसार ऑनलाईन मॉड्यूल शाला दर्पण पोर्टल पर लाइव करते हुए उक्त आदेश को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

आवेदकों के लिए निर्देश :-

1. उपर्युक्त पदों हेतु विभाग में प्राचार्य एवं प्राध्यापक पदों पर नियमित रूप से चयन (डीपीसी/सीधी भर्ती) के उपरान्त कार्यरत अधिकारी आवेदन हेतु पात्र होंगे।
2. आवेदक का प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग में अथवा समग्र शिक्षा परियोजनान्तर्गत स्वीकृत समकक्ष पद पर कार्यरत होना आवश्यक है।
3. प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट्स) में शैक्षणिक पदों पर वर्तमान में प्राचार्य एवं प्राध्यापक समकक्ष पदों पर कार्यरत कार्मिकों को भी पैनल में चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
4. राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के तहत नियुक्त कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
5. आवेदक को ऑन लाईन आवेदन के साथ वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी।
6. वेतन एवं भत्ते राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे।
7. वांछित योग्यताओं के अनुरूप पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का पैनल पद/विषय वार तैयार किया जाएगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना किसी भी स्तर पर गलत पाए जाने पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
9. अभ्यर्थी को उसके ऑन लाईन आवेदन में अंकित योग्यता/अनुभव एवं विशिष्ट कार्यों से सम्बन्धित मूल दस्तावेज चाहे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे एवं निर्धारित दिनांक को निर्दिष्ट स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा, जिसकी सूचना विभागीय वेब-साईट/शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।
10. पदस्थापन हेतु रिक्त पदों की संख्या के निर्धारण/कमी/वृद्धि का अधिकार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का होगा।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर